न्यायालयः—श्रीमति निशा गुप्ता, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तथा एससीएसटी एक्ट/ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जिला जबलपुर म0प्र0

जमानत आवेदन पत्र क्रमांक—1070/2024
रजि. दिनांक—16.04.2024
फाईलिंग नं.— एससी/9425/2024
फाईलिंग दिनांक—16.04.2024
सी.एन.आर. क्रमांक— एम.पी.2001—014601—2024

अमन शर्मा

..........आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा थाना मदनमहल,
जिला जबलपुर म0प्र0

........अनावेदक

———————————————————————————

22.04.2024 अभियुक्त/आवेदक **अमन शर्मा उर्फ आर्यन** केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध है। उसकी ओर से **श्री पारितोष द्विवेदी** अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी की मां स्वयं उपस्थित द्वारा श्री रवि सिन्हा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उपस्थिति का मेमो पेश किया।

प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति एवं अभियुक्त/आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—439 पर विचार हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से जमानत आपत्ति आवेदन पत्र आपत्तिकर्ता नाबालिग पीड़िता की मां ने पेश किया प्रतिलिपि आवेदक अधिवक्ता को दी गई।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से प्रस्तुत **जमानत आवेदन** पत्र अंतर्गत **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439** से संबंधित थाना मदनमहल, जबलपुर, जिला जबलपुर म.प्र. के **अपराध क0 79/2024**

अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 एवं **9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो एक्ट** तथा **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एन)** एवं **3, 4, 5 अनैतिक व्यापार अधिनियम का इजाफा किया गया है,** की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

अभियुक्त/आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि, आवेदक को पुलिस थाना मदनमहल, जबलपुर द्वारा दिनांक 05.03.2024 को अपराध क्रमांक 79/2024 में गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है। फरियादी द्वारा आवेदक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है, जबकि फरियादी के जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 31.05.2005 है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। फरियादी की मां ने आवेदक से अपनी पुत्री हनी उर्फ हर्षिता के विवाह के लिये 50,000/—रूपये ऋण के रूप में ली थी, आवेदक द्वारा अपने रूपये मांगे जाने पर आवेदक के विरूद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया गया है। फरियादी की मां के द्वारा झूठा जन्म प्रमाण पत्र लगाकर लाडली लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग म0प्र0 शासन का लाभ भी ले लिया गया है, आवेदक की पत्नी श्रीमती अपूर्वा द्वारा आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। फरियादी की मां स्वयं रामपुर में सन साईन नाम की स्पा चलाती है। आवेदक निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक संभ्रान्त परिवार का व्यक्ति है और अपना स्वयं का व्यवसाय करता है। आवेदक जबलपुर जिले का स्थायी निवासी है, उसके भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त/आवेदक को जमानत का लाभ प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का पालन करेगा व प्रत्येक पेशी दिनांक पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के साथ आवेदक की ओर से अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र और विवाह की फोटो पेश किये है।

जमानत आवेदन अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के साथ शपथकर्ता अपूर्वा शुक्ला पत्नी अमन शर्मा उर्फ आर्यन, उम्र—लगभग 30 वर्ष, निवासी—एच—18 हाथीताल कॉलोनी जिला जबलपुर म0प्र0 का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने अभियुक्त/आवेदक की पत्नी होना बताया है। उसके द्वारा उक्त आवेदन में पैरवी हेतु अधिवक्ता **श्री पारितोष त्रिवेदी** एवं उनके सहयोगी अधिवक्तागण को नियुक्त किया है। उसके द्वारा व्यक्त किया है कि यह आवेदक/आरोपी का अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत **प्रथम जमानत आवेदन पत्र** है, उक्त जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र

किसी भी अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत कराया है और न ही लंबित व निराकृत हुआ है।

आपत्तिकर्ता की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की है कि अभियुक्त अमन शर्मा उर्फ आर्यन शर्मा उत्तरजीवी का मौसा लगता है आरोपी/आवेदक ने आपत्तिकर्ता की पुत्री एवं उसकी सहेली दोनों के साथ गलत कृत्य किये है जिनकी शिकायत पर मदन महल पुलिस द्वारा धारा 376 भा.द.सं. एवं पॉक्सो एक्ट 9–एन, 10 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जमानत का लाभ दिये जाने पर वह पीड़िता पर दबाव भी बना सकता है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर लगे कैमरे की वीडियो रिकार्डिंग आरोपी को बचाने के लिए जप्त नही की जा रही है। अतः आरोपी अमन शर्मा उर्फ आर्यन शर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

राज्य की ओर से लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पत्र का मौखिक विरोध व्यक्त करते हुए जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 पर उभयपक्ष को सुना गया।

जमानत आवेदन के संबंध में संबंधित अपराध क्रमांक की केस डायरी मय प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि, उत्तरजीवी की मां ने दिनांक 04.03.2024 को थाना मदनमहल, जबलपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि, दिनांक 04.03.2024 को उसे सुबह पता चला कि उसकी लड़की उत्तरजीवी ने 12वीं के पेपर नहीं दिया है, उसने उत्तरजीवी से पूछताछ की, उत्तरजीवी द्वारा बताया गया कि उसके बहन के पति आर्यन शर्मा ने उसे और उसकी सहेली को पिछले एक महीने से अपने स्पा में बुलाकर उसकी बेटी व सहेली से गलत काम करवाता है और काम के उसकी बेटी और उसकी बेटी की सहेली को 5,000/–रूपये देते थे, हर 3 दिन में और वह यह बोलते थे ज्यादा पैसा कमाना है तो उनको बाहर भेजा करेगा और 1 दिन के लिये बाहर जाना पड़ेगा, वह आईफोन भी ले सकती है और मजे का मजा भी लेना और घूमना–फिरना और खूब पैसे कमाना, वह उनका खूब ऐश करवायेगा और सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, उसकी बेटी एवं और उसकी बेटी की सहेली के साथ सब कुछ किया है, जिसके आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376** एवं **9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो एक्ट** तथा

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एन) एवं **3, 4, 5 अनैतिक व्यापार अधिनियम का इजाफा कर** अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

उत्तरजीवीगण ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 एवं 164 के कथनों में घटना का समर्थन कर आरोपी के स्पा में जाने पर उसके तथा उसकी सहेली के साथ गलत काम कर दोनों को 5,000–5,000/–रूपये अलग–अलग दिये थे। दोनों उत्तरजीवीगण ने कथन किया है कि आरोपी द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया है।

आवेदक/आरोपी पर उत्तरजीवीगण जिनकी उम्र–18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क उत्तरजीवीगण के साथ कई बार बलात्संग व गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करने, लैंगिक आशय के साथ 18 वर्ष से कम आयु की उत्तरजीवीगण के मौसा होकर संरक्षक होते हुये, शरीर में गलत–गलत जगह टच कर उनकी लज्जा भंग करने के आशय से उन पर लैंगिक हमला तथा अनैतिक व्यापार कराने का आक्षेप है। आवेदक ने अपने समर्थन में उत्तरजीवी की उम्र के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र, लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उत्तरजीवी के जन्मप्रमाण पत्र में उत्तरजीवी की जन्मतिथि 31.05.2005 एवं लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र में 31.05.2006 अंकित है। अभियोजन की ओर से उत्तरजीवीगण की उम्र के संबंध में प्रवेश के समय दाखिल खारिज पत्र प्रस्तुत किये है जिसमें उत्तरजीवी **अ** की जन्मतिथि 12.03.2006 और उत्तरजीवी **स** की जन्मतिथि 31.05.2006 अंकित है साथ ही जमानत के प्रक्रम पर प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना होता है। इस प्रक्रम पर साक्ष्य का विश्लेषण नही किया जाना है दस्तावेज तथा केस डायरी के आधार पर घटना के समय उत्तरजीवीगण प्रथम दृष्टया अवयस्क दर्शित होती है। आवेदक द्वारा अनेक बार उत्तरजीवीगण के साथ बलात्संग कर गलत कृत्य किया गया है। विवेचना अपूर्ण है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपराध की गंभीर प्रकृति एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/आरोपी **अमन शर्मा उर्फ आर्यन** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 **"निरस्त"** किया जाता है।

आदेश की सत्यापित प्रति सहित संबंधित आरक्षी केन्द्र की केस डायरी वापस लौटाई जाकर पावती ली जावें। साथ

ही आदेश की एक सत्यापित प्रति हस्तगत अपराध से संबंधित रिमाण्ड पत्रावली में संलग्न की जावे।

आदेश सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर, प्रकरण विधिवत् अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/-

श्रीमती निशा गुप्ता
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/एस0टी0
एस0सी0एक्ट/ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर, जिला जबलपुर, (म0प्र0)